

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
—00—

सूची अतिरिक्त
की शिकायत करने।
12/11/11

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर, 2011

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क. 22, सन् 2005) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 3 के उप-नियम (1) में, शब्द "नान ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

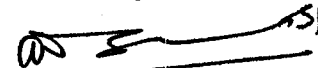
"या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (₹-1000 तक के अरेखांकित तथा ₹-1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा, मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष (60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ,"

2. नियम 4 के उप-नियम (3) में, शब्द "नान ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (₹-1000 तक के अरेखांकित तथा ₹-1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा, मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष (60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ,"

3. उक्त संशोधन जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र ::

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर, 2011

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-4/2010/1-सूअप्र, दिनांक 04 नवम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।



(के.आर. मिश्रा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

.....3

**Chhattisgarh Government
General Administration Department
Right to Information Cell,
Mantralya Dau Kalyan Singh Bhavan**

NOTIFICATION

Raipur, Dated the 4 November, 2011

No. F 2-4/2010/1-RTI ::: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government, Right to Information (Appeal) Rules, 2006, namely :-

AMENDMENT

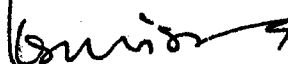
In the said rules, -

1. In sub-rule (1) of Rule 3, after the words "non-judicial stamp", following words and figures shall be added, namely :-

"or demand draft or Banker's Cheque (up to ₹. 1000 uncrossed and above ₹. 1000 crossed) or Indian Postal Order or by challan in Major-head-0070-other administrative services, sub-major head (60)-other services, minor head (118)-receipts under Right to Information Act, 2005"
2. In sub-rule (3) of Rule 4, after the word "non-judicial stamp", the following words and figures shall be added, namely:-

" or demand draft or Banker's Cheque (up to ₹1000 uncrossed and above ₹1000 crossed) or Indian Postal Order or by challan in Major- head-0070-other administrative services, sub-major head (60)-other services, minor head (118)-receipts under Right to Information Act, 2005"
3. It shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,



(K.R. Mishra)

Joint Secretary,

Chhattisgarh Government
General Administration Department

कमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र ::
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर, 2011

1. समस्त अपर सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर,
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिष्यत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली,
3. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
6. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़,
7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
8. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
9. समस्त कलेक्टर, रायपुर,
10. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण,
11. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आकस्मिक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

इस अधिसूचना द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से अपील शुल्क जमा करने के लिये बजट शीर्ष, उपशीर्ष, लघुशीर्ष, संशोधित किये गये हैं, अतः अपील शुल्क संशोधित शीर्ष के अंतर्गत जमा किये जायें ।

कृपया अधिसूचना की प्रति समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित की जाकर संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जावे ।

12. नियंत्रक, क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में करना सुनिश्चित कर, मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग